बिहार सरकार
<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

पत्रांक :– 6 / प्राक्क01–1014 / 2025 929 पटना – 15, दिनांक :– 20.5.2

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषयः– राज्य योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के तहत भुई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के 6 बसावटों में पेयजलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव सहित (विद्युत प्रभार सहित) 489.25 लाख रूपये (चार करोड़ नवासी लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश – राज्य योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के तहत भुई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के 6 बसावटों में पेयजलापूर्ति योजना के निर्माण तथा पाँच वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव सहित (विद्युत प्रभार सहित) 489.25 लाख रूपये (चार करोड़ नवासी लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सिलाव बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना Batch-I में अतिरिक्त 0.87 MLD जल का उपयोग करते हुए भूई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना हेतु RCC 300 KL Capacity-1 No., Rising Main, 100 KVA Transformer, Pump House cum Staff Room, Compound Wall, Gate, Centrifugal Pump-30 HP – 1 No. आदि के साथ 5 साल का मरम्मति एवं अनुरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. उपरोक्त वर्णित योजनाओं के निर्माण तथा परिचालन एवं रख–रखाव से संबंधित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन पर कुल–**489.25 लाख रू0 (चार करोड़ नवासी लाख पच्चीस हजार रूपये)** मात्र का व्यय संभावित है, जिसका तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत है। इस प्राक्कलित राशि में योजना के 5 वर्षों के परिचालन एवं रख–रखाव (विद्युत प्रभार सहित) की राशि शामिल है। प्राक्कलन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है। जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, संपोषण एवं मरम्मति का कार्य विभागीय संकल्प संख्या 543, दिनांक 28.06.2021 द्वारा प्रावधानित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा।

4. इसके लिए योजना के निर्माण हेतु बजट शीर्ष–मुख्य शीर्ष 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष 01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष 102–ग्रामीण जल पूर्ति, उपशीर्ष 0134–ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण – सात निश्चय –2, विपत्र कोड–36–4215011020134 विषय शीर्ष–0134–53–01 मुख्य निर्माण कार्य तथा योजना के परिचालन एवं रख–रखाव हेतु बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2215–जलापूर्ति तथा सफाई–उपमुख्य शीर्ष 01–जलापूर्ति, लघु शीर्ष 102–ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–36–221501 1020107 विषय शीर्ष–0107–27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मति मतदेय शीर्ष अंतर्गत भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी नालंदा (बिहारशरीफ) कोषागार से की जायेगी/ बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समायावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

9. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/12888/वि0, दिनांक–03–12–24 में निहित प्रावधानों के आलोक में सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त है।

13. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

15. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

16. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी।

17. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

अभय 20/05/2025

(अभय कुमार सिंह)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक – 6/प्राक्क01–1014/2025 929 पटना – 15 ,दिनांक :– 20.5.25

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, नालंदा/ कोषागार पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव (मुख्यालय/ कार्य प्रबंधन)/ प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ बजट पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2, पटना/ कार्यपालक अभियन्ता (मो0–02)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2/ कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–6/ आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/05/2025

(अभय कुमार सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)